



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[26]

को कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आज से पहला कोई लगान या आवपाशी या अन्य ड्यूज बकाया होगा तो उसको स्वयं प्रथम पक्ष विक्रेत्रीगण चुकता करेंगी और आज से आगे के समस्त लगान एवं आवपाशी व अन्य ड्यूज स्वयं द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी चुकता करेंगी। यदि अब अथवा भविष्य में उपरोक्त भूमि भूमिधारी अथवा उसका अंश

